रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 1975/श्रावण 23, 1897

No. 312] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1975/SRAVANA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August 1975

S.O. 436(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of certain members who have retired on the 2nd April, 1974, on the expiration of their terms of office are published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Gujarat

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(1) Mahida Harisinh Bhagubava,

(2) Virendrakumar Shah,

(3) Parikh Ramlal Dahyabhai

have been duly elected to fill the seats in that House of the three members who retired on 2nd April, 1974 on expiration of their term of office.

PLACE: GANDHINAGAR. (Sd.) Illegible
Date: 8th August, 1975. Returning Officer".

[No. F. 13(2)/75-Leg.II].

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० आ० 436(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें 2 अप्रैल, 1974 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हो गए कतिपय सदस्यों के, राज्य सभा में स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि 2 अप्रैल, 1974 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हो गए तीन सदस्यों के राज्य सभा में स्थानों को भरने के लिए—

1. महिवा हरोसिंह भागुवावा
2. वीरेन्द्र कुमार शाह
3. पारिख रामलाल डाह्याभाई

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : गांधीनगर

तारीख : 8 अगस्त, 1975

(ह०) अस्पष्ट

रिटर्निंग आफिसर।"

[सं० फा० 13(2)/75–विधा० II]

के० के० सुन्दरम्, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975